

## जिला निबंधन कार्यालय, बेगूसराय

(कार्यालय आदेश)


आदेश सं०. 37/2015

दिनांक:-30/07/2015

बिहार सरकार, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) के अधिसूचना संख्या 3482 दिनांक 29.07.15 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तृतीय परन्तुक {बिहार वित्त अधिनियम, 2001 (अधिनियम सं०-11, 2002) द्वारा यथा अन्तः स्थापित} के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची-1-ए के अनुच्छेद संख्या 23 एवं अनुच्छेद संख्या 33 में संशोधन किया गया है।

02. बिहार सरकार, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) के अधिसूचना संख्या 3483 दिनांक 29.07.15 द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निबंधन फीस तालिका के अधीन अनुच्छेद संख्या ए(1) में संशोधन किया गया है।

03. उपरोक्त स्टाम्प ड्यूटी एवं फीस तालिका की दरें अधिसूचना-निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

  
जिला अवर निबंधक,  
बेगूसराय।

ज्ञापांक.....1045...../बेगूसराय, दिनांक.....30.7.15.....

- प्रतिलिपि:- सचिव-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, बेगूसराय को अधिसूचना सं० 3482 व 3483 दिनांक 29/07/15 की प्रति संलग्न करते हुए सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, बेगूसराय को अधिसूचना संख्या 3482 व 3483 दिनांक 29/07/15 की प्रति संलग्न करते हुए सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अवर निबंधक, तेघड़ा/बखरी बाजार/बलिया को अधिसूचना संख्या 3482 व 3483 दिनांक 29/07/15 की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, बेगूसराय को अधिसूचना संख्या 3482 व 3483 दिनांक 29/07/15 की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। तत्काल अधिसूचना की प्रति को कार्यालय सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि:- परिदान लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



  
जिला अवर निबंधक,  
बेगूसराय।

बिहार सरकार  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचना


पटना, दिनांक-.....

एस.ओ.सं०-10/रा.म.स.नीति-27/2015- 3482 / भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तृतीय परन्तुक [बिहार वित्त अधिनियम, 2001 (अधिनियम सं०-11, 2002) द्वारा यथा अन्तः स्थापित] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची-1-ए के अनुच्छेद संख्या 23 एवं अनुच्छेद संख्या 33 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं: -

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का प्रकार	देय स्टाम्प ड्यूटी
23	अभिक्रमण-पत्र (विक्रय-पत्र मात्र)	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 5.7%
		(ख) महिला से पुरुष को अंतरण की स्थिति में 6.3%
		(ग) अन्य परिस्थितियों में 6%
33	दान-पत्र	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 5.7%
		(ख) महिला से पुरुष को अंतरण की स्थिति में 6.3%
		(ग) अन्य परिस्थितियों में 6%

(2) उक्त स्टाम्प ड्यूटी की दरें अधिसूचना-निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

एस०ओ०सं०-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3482 / पटना, दिनांक- 29.07.15.....

प्रतिलिपि, उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

**Government of Bihar**  
**Department of Registration, Excise & Prohibition**  
( Registration )

**NOTIFICATION**

Patna, Dated- 29.07.15.....

S.O.No.- 10/Ra.M.S. Neeti-27/2015- 3482 /In exercise of the powers conferred by 3<sup>rd</sup> proviso of section 3 of the Indian Stamp Act, 1899 [as inserted by the Bihar Finance Act, 2001 (Act No.-11 of 2002)], the Governor of Bihar is pleased to substitute the Article No. 23 and Article No. 33 of Schedule-IA of the said Act by the following: --

Article No.	Types of Document	Stamp duty payable
23	Conveyance (Sale deed only)	(a) in case of transfer from male to female 5.7%, (b) in case of transfer from female to male 6.3%, (c) in any other case 6%.
33	Gift Deed	(a) in case of transfer from male to female 5.7%, (b) in case of transfer from female to male 6.3%, (c) in any other case 6%.

(2) Rates of the said stamp duty shall be effective from the date of issuance of the notification.


By the Order of the Governor of Bihar,

  
( Rahul Singh )  
Secretary to the Government

ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3482 /, पटना, दिनांक- 29.07.15.....  
प्रतिलिपि, वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।


  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3482 /, पटना, दिनांक- 29.07.15.....  
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3482 /, पटना, दिनांक- 29.07.15

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/माननीय मंत्री, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3482 /, पटना, दिनांक- 29.07.15

प्रतिलिपि, मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार  
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(निबंधन)

अधिसूचना


पटना, दिनांक- 29.07.15

एस.ओ.सं०-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3483 /रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निबंधन फीस तालिका के अधीन अनुच्छेद संख्या A(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं: -

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज के प्रकार	फीस की दरें
A(1)	विक्रय-पत्र एवं दान-पत्र	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 1.9% (ख) महिला से पुरुष को अंतरण की स्थिति में 2.1% (ग) अन्य परिस्थितियों में 2%


(2) उक्त फीस तालिका की दरें अधिसूचना-निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

एसओसं०-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3483 /, पटना, दिनांक- 29.07.15  
प्रतिलिपि, उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

**Government of Bihar**  
**Department of Registration, Excise & Prohibition**  
**( Registration )**

**NOTIFICATION**

Patna, Dated- .....

S.O.No.- 10/Ra.M.S. Neeti-27/2015- /In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908 the Governor of Bihar is pleased to substitute the Article No. A(1) of the Table of fee by the following: -


Article No.	Types of Document	Rates of fee
A(1)	Sale deed & Gift Deed	(a) in case of transfer from male to female 1.9%, (b) in case of transfer from female to male 2.1%, (c) in any other case 2%.

(2) Rates of said table of fees shall be effective from the date of issuance of the notification.


By the order of the Governor of Bihar,

  
( Rahul Singh )  
Secretary to the Government

ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3483 /, पटना, दिनांक- 29.07.15  
प्रतिलिपि, वित्त विभाग, ई-गजट कोषाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।


  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3483 /, पटना, दिनांक- 29.07.15  
प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3483 /, पटना, दिनांक- 29.07.15

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/माननीय मंत्री, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/रा.म.स. नीति-27/2015- 3483 /, पटना, दिनांक- 29.07.15

प्रतिलिपि, मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
( राहुल सिंह )  
सरकार के सचिव।